

उत्तरांचल शासन
मानव संसाधन विकास विभाग
(उच्च शिक्षा अनुभाग)
संख्या- 830/उ0शि0/2003-3(18)2003
देहरादून दिनांक 01 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना विविध

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 15, 2003) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

{म रामचन्द्रन }
(एम0 रामचन्द्रन)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 830 (1)/उच्च शिक्षा/2003/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, गा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
5. कुलपति, हेमवती नन्दन गढवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढवाल।
6. कुलपति, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. सचिव विधायी एवं संसदीय कार्य, उत्तरांचल।
8. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
9. सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
10. सचिव, एसोशिएशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजशाह कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
11. अध्यक्ष, हाईड्रोकार्बन्स एण्ड रिसर्च सोसाईटी, नई दिल्ली।
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लिथो प्रेस, उत्तरांचल रुड़की वॉर्म इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
{म रामचन्द्रन }
(एम0 रामचन्द्रन)
प्रमुख सचिव।